न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान :—जयसिंह आदि बनाम श्योचन्द आदि

प्रार्थना पत्र संख्या :— 97 / 2025

निर्णय दिनांक :— 25/06/2025

1. जयसिंह
2. रामस्वरूप
3. लक्ष्मीनारायण
4. श्रीचन्द
5. सतवीर

(1 से 5) पुत्रगण श्योराम

6. शेरसिंह पुत्र स्व. भंवरलाल
7. सुमेरसिंह पुत्र स्व. भंवरलाल
8. कमला देवी बेवा भंवरलाल
9. इन्द्रावती बेवा मनीराम
10. मोहरसिंह पुत्र स्व. मनीराम
11. विजय कुमार पुत्र स्व. मनीराम

जाति जाट निवासीगण भनीण तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्योचन्द पुत्र मालाराम जाट निवासी भनीण तहसील तारानगर जिला चूरू
2. धनपत पुत्र गोपालाराम जाट निवासी भनीण तहसील तारानगर जिला चूरू
3. धर्मपाल पुत्र गोपालाराम जाट निवासी भनीण तहसील तारानगर जिला चूरू
4. महेन्द्र पुत्र गोपालाराम जाट निवासी भनीण तहसील तारानगर जिला चूरू
5. शांति पत्नी महेन्द्र जाट निवासी भनीण तहसील तारानगर जिला चूरू
6. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट</u>

उपस्थित :—1. श्री मुकेश शर्मा अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू वास्ते अप्रार्थी सं. 1

—: निर्णय :—

प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर. एक्ट प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की कृषिभूमि खसरा नं. 1353 / 446 तादादी 2.6807 हेक्टेयर, खसरा नं. 1355 / 522 तादादी 1.4668 हेक्टेयर, खसरा नं. 182 तादादी 4.8810 हेक्टेयर, खसरा नं. 576 तादादी 2.5416 हेक्टेयर, खसरा नं. 577 तादादी 0.1265 हेक्टेयर, कुल तादादी 11.6966 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम भनीण तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण सं. 1 ता 5 प्रत्येक 1 / 7, 1 / 7 हिस्से के खातेदार काश्तकार व प्रार्थीगण सं. 6 ता 8, 1 / 7 व प्रार्थीगण सं. 9 ता 11, 1 / 7 हिस्से के काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड जमांबदी व नक्शासलंग्न प्रार्थना पत्र की जाकर वादाधार वाद बनाया जा रहा है। उक्त कृषिभूमि ही विवादित है। अप्रार्थी सं. 1 श्योचन्द की कृषिभूमि खसरा नं. 1260 / 575 प्रार्थीगण की कृषिभूमि के पूर्वी तरफ चिपती हुई है जिसकी जमाबंदी व नक्शा संलग्न किया जा रहा है। अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 कृषिभूमि खसरा नं. 113 तादादी 7.5617 हेक्टेयर, खसरा नं. 125 तादादी 0.0632 हेक्टेयर, खसरा नं. 203 तादादी 3.4774 हेक्टेयर, खसरा नं. 323 तादादी 2.2255 हेक्टेयर, खसरा नं.

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

357 तादादी 3.8188 हेक्टेयर, खसरा नं. 506 तादादी 3.0222 हेक्टेयर, खसरा नं. 601 तादादी 3.8441 हेक्टेयर, खसरा नं. 61 तादादी 5.2350 हेक्टेयर, खसरा नं. 623/506 तादादी 0.5564 हेक्टेयर कुल तादादी 29.8043 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम भनीण तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है जिसमें से कृषिभूमि खसरा नं. 323/506 प्रार्थीगण की कृषिभूमि के पश्चिमी ओर चिपती हुई है। प्रार्थीगण की कृषिभूमि के उत्तरी तरफ ग्राम भनीण की आबादी भूमि लगती है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के दरमियान कृषिभूमि के सीमाज्ञान को लेकर आये दिन झगड़ा फसाद होने की सम्भावना रहती है। जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषिभूमि को सही एवं सूचारू रूप से काश्त नहीं कर पाते है।

विवादित कृषिभूमि आबादी क्षेत्र के नजदीक होने से आये दिन पडौसियों से व पशु चरवाहों से झगड़ा फसाद रहता है व आये दिन प्रार्थीगण की कृषिभूमि की सीवों को कुछ भूमाफिया लोग जबरदस्ती तोडकर उसमें खडी फसल को नुकसान पहुंचाने पर आमादा रहते हैं। जिस वजह से प्रार्थीगण के लिये अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाना अनिवार्य हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी विवादित कृषिभूमि की पैमाईश करवाने हेतु अप्रार्थी सं. 6 के समक्ष अनेकों बार आवेदन किये है लेकिन उनके द्वारा जानबूझकर प्रार्थीगण की पैमाईश नहीं की जा रही है व ना ही प्रार्थीगण को उसकी कृषिभूमि की निशानदेही दी जा रही है। प्रार्थीगण सभी काश्तकार पेशा व्यक्ति है व उनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि उपज ही है। प्रार्थीगण के हिस्से में बहुत थोडी थोडी जमीन आती है जिससे बडी मुश्किल से उनके परिवार का गुजारा हो पाता है व प्रार्थीगण की कृषिभूमि की सही निशानदेही देकर पत्थरगढी नहीं करवाये जाने से हर समय झगड़ा फसाद व खून खराबा होने की स्थिति पैदा हो जाती है जिसके लिये भी प्रार्थीगण के लिये अपनी खातेदारी काश्तकारी की कृषिभूमि की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 6 के समक्ष पुनः दिनांक 25.04.2025 को अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवाने हेतु आवेदन किया, जिस पर हल्का पटवारी द्वारा मौजिज व्यक्तियों के समक्ष प्रार्थीगण की कृषिभूमि खसरा नं. 1355/522 तादादी 1.4668 हेक्टेयर, खसरा नं. 576 तादादी 2.5416 हेक्टेयर, खसरा नं. 577 तादादी 0.1265 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम भनीण तहसील तारानगर का मौका देखकर, जरीब चलाकर पैमाईश की गई तो खसरा नं. 576, 577 में लगभग 0.2500 हेक्टेयर भूमि कम होना पाया गया जिसकी फर्द मौका पर पटवारी द्वारा तैयार की गई लेकिन हल्का पटवारी द्वारा यह कहीं भी नहीं दर्शाया गया कि उक्त कम हुई कृषिभूमि कौनसे अप्रार्थीगण के कब्जे उपयोग उपभोग या आबादी में है का कोई अंकन नहीं किया। ऐसी सूरत में पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हो गया है जिसके लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 12.05.2025 को अप्रार्थी संख्या 6 के यहां पैमाईश करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया लेकिन उस पर अप्रार्थी सं. 6 द्वारा कोई गौर नहीं किया व प्रार्थीगण को स्पष्ट कहा कि अदालत में कार्यवाही कर पत्थरगढी के आदेश लाकर दो तो हम आपकी कृषिभूमि की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करेगें।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि, अप्रार्थी संख्या 6 को आदेश दिया जावे कि प्रार्थीगण की कृषि खसरा नं. 1353/446 तादादी 2.6807 हेक्टेयर, खसरा नं. 1355/522 तादादी 1.4668 हेक्टेयर, खसरा नं. 182 तादादी 4.8810 हैक्ट., खसरा नं. 576 तादादी 2.5416 हैक्ट., खसरा नं. 577 तादादी 0.1265 हैक्ट कुल तादादी 11.6966 हेक्टेयर रोही मौजा भनीण तहसील तारानगर जिला चूरू का सीमाज्ञान कराकर पत्थर गढी करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। दिनांक 25.06.2025 को पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा शिविर भनीण में पत्रावली पेश होने पर पक्षकारान ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा नं. 1260/575 तादादी 0.9104 हैक्ट., खसरा नं. 1261/575 तादादी 0.1265 हैक्ट., खसरा नं. 1265/579 तादादी 0.1138 हैक्ट., खसरा नं. 523 तादादी 0.2782 हैक्ट., खसरा नं. 527 तादादी 0.3161 हैक्ट., खसरा नं. 988/524 तादादी 0.0632 हैक्ट., खसरा नं. 1262/575 तादादी 0.4426 हैक्ट., खसरा नं. 1264/579 तादादी 0.4552 हैक्ट. रोही मौजा भनीण तहसील तारानगर जिला चूरू पत्थरगढी

Jayendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

करने पर एतराज नही होना जाहिर किया । अप्रार्थी सं. 6 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित उन्होंने राज्यहित प्रभावित नही होना जाहिर किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण कृषि भूमि कृषि खसरा नं. 1353/446 तादादी 2.6807 हेक्टेयर, खसरा नं. 1355/522 तादादी 1.4668 हेक्टेयर, खसरा नं. 182 तादादी 4.8810 हैक्ट., खसरा नं. 576 तादादी 2.5416 हैक्ट., खसरा नं. 577 तादादी 0.1265 हैक्ट कुल तादादी 11.6966 हेक्टेयर अप्रार्थीगण खसरा नं. 1260/575 तादादी 0.9104 हैक्ट., खसरा नं. 1261/575 तादादी 0.1265 हैक्ट., खसरा नं. 1265/579 तादादी 0.1138 हैक्ट., खसरा नं. 523 तादादी 0.2782 हैक्ट., खसरा नं. 527 तादादी 0.3161 हैक्ट., खसरा नं. 988/524 तादादी 0.0632 हैक्ट. खसरा नं. 1262/575 तादादी 0.4426 हैक्ट., खसरा नं. 1264/579 तादादी 0.4552 हैक्ट. रोही मौजा भनीण तहसील तारानगर जिला चूरू की रिकॉर्ड खातेदार है। उभय पक्षाकारान अपने-अपने खेत व काश्त की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहते है। उभय पक्षाकारान की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। वर्णित विवेचन से पक्षकारान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना -पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए राजस्व नक्शा के मुताबिक उभय पक्षकारान की कृषि भूमि 1353/446 तादादी 2.6807 हेक्टेयर, खसरा नं. 1355/522 तादादी 1.4668 हेक्टेयर, खसरा नं. 182 तादादी 4.8810 हैक्ट., खसरा नं. 576 तादादी 2.5416 हैक्ट., खसरा नं. 577 तादादी 0.1265 हैक्ट कुल तादादी 11.6966 हेक्टेयर व खसरा नं. 1260/575 तादादी 0.9104 हैक्ट., खसरा नं. 1261/575 तादादी 0.1265 हैक्ट., खसरा नं. 1265/579 तादादी 0.1138 हैक्ट., खसरा नं. 523 तादादी 0.2782 हैक्ट., खसरा नं. 527 तादादी 0.3161 हैक्ट., खसरा नं. 988/524 तादादी 0.0632 हैक्ट. खसरा नं. 1262/575 तादादी 0.4426 हैक्ट., खसरा नं. 1264/579 तादादी 0.4552 हैक्ट. रोही मौजा भनीण तहसील तारानगर जिला चूरू सीमाचिन्ह स्वयं अथवा नायब तहसीलदार के निर्देशन में राजस्व कार्मिक टीम से कायम करावें। सीमाचिन्ह कार्यवाही का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। ध्यान रहे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी काश्तकार को बेदखल नही किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 25/06/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)